बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020......9157 पटना, दिनांक :–12/12/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 635 दिनांक 20.09.2023 द्वारा श्री सुमीत सौरव, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02095) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इन्हें मौजा कसबा गिद्धौर थाना संख्या – 76 का कार्य आवंटित किया गया है। इनके द्वारा सर्वे प्रक्रम खानापुरी का कार्य दिनांक 25.04.2022 से प्रारंभ किया गया है। कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के फलस्वरूप बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 617 दिनांक 18.07.2022, ज्ञापांक 922 दिनांक 11.11.2022, ज्ञापांक 939 दिनांक 17.11.2022 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही ये दिनांक 24.07.2023 से लगातार अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी का इनके कार्यो के संबंध में मंतव्य है कि इनकी कार्यशैली सर्वे के प्रति लापरवाही एवं हठधर्मिता का परिचायक है, अतः इन्हें चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 8597 दिनांक 18.10.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद डेढ़ माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना का द्योतक है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में श्री सौरभ को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही संचिका में रक्षित ऑनलाईन उपस्थिति पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ये माह–अप्रैल, 2023 से जूलाई, 2023 तक कुछेक दिन एवं माह अगस्त से वर्त्तमान माह तक अनुपस्थित हैं। इस प्रकार बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। श्री सौरभ के अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से इनको आवंटित मौजा का कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे अन्य प्रक्रम के कार्य में विलंब होगा। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनको संविदा में बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)''** के आलोक में श्री सुमीत सौरव, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02095) का संविदा समाप्त किया जाता है।

12/12/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020........9157........ **पटना, दिनांक** 12/12/2023

प्रतिलिपि :– श्री सुमीत सौरव, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02095), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020........9157........ **पटना, दिनांक** 12/12/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020........9157........ **पटना, दिनांक** 12/12/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री सौरभ की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप